कार्यवाही विवरण

मेसर्स लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री कमलेश पांड़े), ग्राम–नंदिनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग। स्थित खसरा कमांक–395, 405/1, 405/2, 405/3, 406, 407, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 409, 424/2 एवं 426/1, कुल क्षेत्रफल–4.26 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता–1,50,150 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 07.08.2023, समय दोपहर 12:00 बजे, स्थान–ग्राम पंचायत भवन के निकट खाली मैदान, ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग। (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री कमलेश पांड़े), ग्राम–नंदिनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग। स्थित खसरा कमांक–395, 405/1, 405/2,405/3, 406, 407, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 409, 424/2 एवं 426/1, कुल क्षेत्रफल–4.26 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता–1,50,150 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली दिनांक 06.07.2023 एवं दैनिक समाचार पत्र देशबन्धु, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में दिनांक 06.07.2023 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 07.08.2023, समय दोपहर 12:00 बजे, स्थान–ग्राम पंचायत भवन के निकट खाली मैदान, ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग। (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, जिला–दुर्ग।, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–दुर्ग।, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–दुर्ग।, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदनी, जिला–दुर्ग।, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग। एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग। में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई,

जिला–दुर्ग। में लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में 134 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई है।

उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 07.08.2023 को समय दोपहर 12:30 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थान–ग्राम पंचायत भवन के निकट खाली मैदान, ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में लोकसुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तदोपरान्त परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री मनीष राव कदम, पी एण्ड एम कंसल्टेन्ट, नोएडा द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

तदोपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने, आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टीप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री शिव कुमार वर्मा, ग्राम–सहगांव, जिला–दुर्ग।**

➢ पथरिया से सहगांव मार्ग में लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर 8–10 कशर इकाईयॉ है। इस मार्ग में लगभग 20–25 बच्चे पढ़ने के लिये जाते हैं। रास्ता बद से बदत्तर हो गया है। रास्ते में खाई एवं गड्डे बन गया है। खदान से 12 महिने किसानों को पानी मिलना चाहिए। गांव वालों को मिट्टी मांगने पर हमेशा मिलना चाहिए। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए। गिट्टी स्थानीय लोगों को कम से कम दर पर मिलना चाहिए। वीएनआर शीड के मालिक द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। कुछ वर्ष पहले जे.के.लक्ष्मी सीमेण्ट कंपनी को हमने जमीन दिया था। उसमें से एक जमीन मेरी विधवा बहन की थी। उस समय उनका पालन–पोषण के लिये बात किया गया था। लेकिन आज तक सीमेण्ट कंपनी ने हमारा सुध नहीं लिया। सभी खदान संचालक गांव के सुख दुख में आये। मालिक गांव वालों को हाल चाल पूछने नही आत है। मेरा निवेदन है कि खदान वाले गांव वालों की सुख दुख में उनका हालचाल पूछने आये। मैं चाहता हूं कि 3 किमी. की सड़क को बेहतर किया जाये तथा स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दिया जाये।

2. **श्री चंद्रिका प्रसाद साहू, सरपंच, ग्राम–पथरिया, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं प्रस्तावित खदान के परिवहन के लिये पूछता हूं । हमें कोई भी सड़क मार्ग नही है। दुर्ग जिले में डीएमएफ फण्ड के लिये बंदर बांट करके रखा गया है। कम से कम डीएमएफ की राशि से पथरिया–सहगांव मार्ग का निर्माण तो करवा दिया जाये। सबसे अधिक डीएमएफ के लिये राशि पथरिया गांव से जाता है। जिला प्रशासन को शर्म

आना चाहिए कि डीएमएफ फण्ड का व्यय पथरिया के विकास में किया जाना चाहिए। मैं खदान खुलने का समर्थन करता हूं तथा स्थानीय लोगों को रोजगार मिले साथ ही 3 किमी. की सड़क का मरम्मत हो।

3. **श्री देव ऋषि गावड़े, ग्राम–नंदिनी–खुंदनी, जिला–दुर्ग।**

➢ जे.के.लक्ष्मी सीमेण्ट प्लाण्ट खुला है वो हमारे गांव वालों को शोषण कर रहा है। एक चन्दे के लिये भी जाने से वो नकारता है। वह आज जिस गांव में चल रहा है वहां के गांव वाले रोजगार के लिये तरस रहे हैं। गांव के घरों में ब्लास्टिंग से दरार आ गया। मैं शासन–प्रशासन से पूछता हूं कि गांव बहुत ज्यादा हैवी ब्लास्टिंग होता है तो घर में दरार आ जाता है तथा प्रदूषण/धूल गांव के खेत में जा के जम जाता है। यदि शासन से नुकसान होता है तो उसका भुगतान कैसे किया जायेगा एवं उसे कैसे रोका जायेगा, मंच के माध्यम से बताया जाने का अनुरोध है। प्रस्तावित खदान के द्वारा स्थानीय कार्यो के लिये आर्थिक सहयोग किया जाता है। प्रस्तावित खदान के लिये अनुमति दिये जाने का अनुरोध करता हूं।

4. **श्री उमेश पासवान, वार्ड नंबर–8, अहिवारा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं प्रस्तावित खदान के क्षमता विस्तार का समर्थन करता हूं क्योंकि यह गौण खनिज है। खदान खुलने का समर्थन करता हूं। डीएमएफ फण्ड से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये युवाओं को प्रशिक्षण के लिये दुर्ग जिले में सीट आबंटित है, चूंकि यहां के लोग आर्थिक रूप से बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नही है इसीलिये ऐसे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आबंटित सीटों में वृद्धि की जाये। डीएमएफ फण्ड का संचालन 02 संस्थाओं द्वारा किया जाना है। नियमानुसार डीएमएफ समिति की बैठक साल 12 बार होनी चाहिए। लेकिन पिछले साल केवल 5 बार हुआ है इसीलिये विकास कार्य बाधित है। वर्ष 2022 तक लगभग 229 करोड़ पूरे प्रदेश में ठेका एजेंसी को मिल गया है लेकिन एक भी कार्य पूर्ण नही हुआ है। लेकिन यह राशि डीएमएफ फण्ड में होता तो 28 करोड़ ब्याज प्राप्त होता। हमारे दुर्ग में मुरूम उत्खनन बहुत अधिक हो रहा है जिसका खनिज विभाग से केवल परिवहन की अनुमति दी जाती है उत्खनन की अनुमति की आवश्यकता नही होती है जिससे बहुत अधिक उत्खनन होता है। अतः मैं चाहता हूं कि उत्खनन की भी जांच होनी चाहिए।

5. **श्री जगेश्वर साहू, ग्राम–नंदिनी–खुंदनी, जिला–दुर्ग।**

➢ प्रस्तावित खदान में जमीन मेरी है इसकी बिक्री आज तक मैंने नही की है। तो उनको एनओसी कैसे दे रहे हो। खसरा नंबर–401 संतूराम का है, जिसकी बिक्री नही हुई है, आज हम भूखे मर रहे हैं और ये खदान वाला मौज उड़ा रहा है।

6. **श्री राजिन्दर सिंह, अहिवारा, जिला–दुर्ग।**

➢ बन्द खदानों को शुरू कराने के लिये पूर्व में हम लोग आये थे। शासन छोटे उद्योगों को बढ़ावा देती है क्योंकि उससे लोगों को रोजगार मिलती है। स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिये छोटे व्यापारी सहयोग करते हैं। जे.के.लक्ष्मी सीमेण्ट को बिना करार के अनुमति दे दिया गया। लेकिन वहां कोई भी स्थानीय लोगों को काम पर नही रखा गया है। सब बाहरी लोगों को काम पर रखा गया है। सीमेण्ट प्लाण्ट में काम मांगने के लिये जाने पर लोगों का आधार कार्ड देखा जाता है तथा 20 किमी. की परिधि के लोगों को काम पर नही रखा जाता है। पूर्व मे सीमेण्ट

प्लाण्ट के कोर्ट केस पर गिरफ्तार लोगों को रिहा कर दिया गया था, जिससे ये साबित होता है कि वे निर्दोष थे। सीमेण्ट प्लाण्ट में कम से कम 40 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। खदान में भरे पानी को योजना बनाकर बाहर निकालना चाहिए और किसानों को दिया जाना चाहिए। शासन मुरूम के खनन करने के लिये अनुमति देता है लेकिन वहां कितना उत्खनन किया, उसकी जांच नही की जाती है। यहां नंदिनी में 4 एकड़ जमीन में मुरूम उत्खनन करके गड्डा करके वहां से चले गये, जिसकी शिकायत करने के बावजूद जांच नही किया गया है। अहिवारा नगर पालिका में सीताराम तालाब में मुरूम उत्खनन की अनुमति दी गई, लेकिन अनुचित उत्खनन से वहां निस्तारी आज नही हो पा रहा है। उत्खनन इस प्रकार का हो कि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या दिक्कत न हो।

7. **श्री रविशंकर सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, जनता पार्टी, नंदिनी–खुंदनी, जिला–दुर्ग।**

➢ इस जन सुनवाई के माध्यम से हम यह जानना चाहते हैं कि प्रस्तावित खदान से पर्यावरण पर प्रदूषण पर होने वाले प्रभाव को जानना चाहेंगे। हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं,टीवी में देखते कि ग्लेसीयल पिघल रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, इसीलिये उनके रोकथाम के लिये हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सभी समस्याओं को सामूहिक रूप से नाम दिया गया ग्लोबल वार्मिंग। पूर्व में इस संबंध में भी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि यदि हमारा वनस्पति सही रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन विषय यह है कि इन सब का पालन कैसे होगा। बच्चों को बचपन से यह पढ़ाया जाना चाहिए कि उनके पेड़ लगाने है, लोगों को घर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग किया जाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि स्थायी कंपनी आती है तो उसमें स्थायी रोजगार मिलता है। मजदूरों को मजदूरी की न्यूनतम दर मिलनी चाहिए। जब लोग स्थानीय लोगों काम करते हैं तो सामाजिक कार्यो में अधिक समय लगता है। लेकिन जब मजबूर बाहर राजस्थान जाकर काम करते हैं तो वह 8–10 महीने में डेढ़ से दो लाख कमाकर लौटता है क्योंकि वहां सिर्फ काम करता है। वहां वर्क कल्चर डेवलप हो जाता है। स्थायी कंपनियों में ऐसे ही वर्क कल्चर डेवलप होता है। यहां के स्थानीय लोगों को खदानों से रोजगार मिलता है। इसीलिये स्थानीय खदानों को बन्द नही करना चाहिए। नरेन्द्र मोदी पहली सरकार जब आई तब डीएमएफ के नियम कानून बनाये गये। जिलाधीश महोदय के पास यह बात पहुंचाई जाये कि यहां के स्थानीय खदानों से डीएमएफ फण्ड की राशि यहां के गांव का विकास होनी चाहिए। स्थानीय सामाजिक गतिविधियों में छोटे खदानों वालों पूरा सहयोग मिलता है। इसलिये इन्हें अनुमति मिलनी चाहिए। यहां पर जो सड़क बनते हैं उसे सही तरीके से बनाया जाये। जिससे लोगों को आने व जाने में सुविधा हो। भारत देश में बनी वस्तुओं का ही उपयोग किया जाये ये हमारे शासन प्रशासन की अच्छी सोच है। खनिज आधारित उद्योगों के अलावा कृषि आधारित उद्योगों पर भी विचार करना चाहिए। इस क्षेत्र में जमीन की कीमत पहले 2 हजार से 3 हजार रूपये प्रति एकड़ था। इस क्षेत्र में बिजली नही थी। छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहां पर सरप्लस बिजली हो गया है। जिससे यहां सिंचाई की व्यवस्था हो गई। ये सभी विकास हुए है इसीलिये कृषि आधारित उद्योगों पर विचार किया जाना चाहिए। यदि खाली खदानों की बात आती है जिनमें माइनिंग बन्द हो गया, जल भरा रहता है

उनमें मोटर पम्प की व्यवस्था करके उसका निस्तारी और सिंचाई के लिये उपयोग हो सके। इस मशीनी युग में प्रदूषण राक्षस की तरह है इसीलिये प्रदूषण के निवारण किया जाना चाहिए। हमारे क्षेत्र में स्थानीय लोगों को स्थानीयखदानों में सहयोग किया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि प्रस्तावित खदान पर विचार करते हुए अनुमति दी जानी चाहिए।

8. **श्री खिलेश मारकण्डे, ग्राम–सेलूद, जिला–दुर्ग।**

➢ आज सभी जगह सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का है। जिससे सभी लोगों को रोजगार मिल सके परिवार का पालन हो सके। खदान यदि खुलता है तो स्थानीय विकास होगा। खदान खुलना चाहिए।

9. **श्री वामन सिंह, सरपंच, ग्राम–नंदिनी–खुंदनी, जिला–दुर्ग।**

➢ किसान हित को ध्यान में रखते हुए सभी जमीन की रजिस्ट्री के उपरांत खदान चालू किया जाये। आवागमन के लिये पक्की सड़क खदान द्वारा बनाया जाना चाहिए। इनके खदान के द्वारा गांव में लगभग 15 लाख रूपये से शीतला मंदिर बनवाया गया है। बाकी खदान वाले गणेश, दुर्गा के लिये चंदा देने के लिये मना कर देते हैं लेकिन यह खदान एक बार में दे देता है। मैं यह खदान का समर्थन करता हूं।

10. **श्री नटवर लाल ताम्रकार, ग्राम–नंदिनी–खुंदनी, जिला–दुर्ग।**

➢ यह क्षेत्र उच्चतम क्वालिटी के गिट्टी उत्पादन के लिये एशिया में प्रसिद्ध है। क्षेत्र में दो दो सीमेण्ट प्लाण्ट स्थापित है। इनका रॉ मटेरियल अहिवारा क्षेत्र से प्राप्त होता है। यदि रॉ मटेरियल की गुणवत्ता अच्छी नही होगी तो सीमेण्ट प्लाण्ट बन्द हो जायेंगे। क्षेत्र का दोहन हो रहा है इसकी क्षतिपूर्ति नही हो रही है। आज जनसुनवाई में लीज स्वीकृति दिये जाने हेतु सुनवाई आयोजित हो रही है। आसपास का क्षेत्र में विगत 50 वर्षो से लाईम स्टोन का खनन हो रहा है, लेकिन जिस गति से उत्खनन हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति नही हो पा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा डीएमएफ फण्ड की स्थापना कराई गई है जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। क्षेत्र में परिवहन होने से दुर्घटनायें होती है, जिसके निराकरण हेतु कोई योजना नही बनाई गई है। ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर अलग से गौण खनिज की रायल्टी गांव विकास हेतु 50 प्रतिशत राशि दिये जाने की मांग करता हूं। श्री कमलेश पांडे का हर समय क्षेत्र में सहयोग रहता है। उन्हें लीज मिलना चाहिए। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। स्थानीय लोगों की गाड़ियॉ परिवहन के कार्यो में लगना चाहिए। नवीन तहसील अहिवारा के प्रभावित ग्रामों को गौण खनिज मद से अलग से पैकेज मिलना चाहिए। जयश्रीराम धन्यवाद।

11. **श्री घनश्याम यादव, पूर्व सरपंच, ग्राम–नंदिनी–खुंदनी, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं 5 वर्ष पूर्व सरपंच था। उसे समय एसीसी का जनसुनवाई किया गया था। उस समय हमें इसके बारे में कुछ पता नही था। इसके पूर्व जे.के.लक्ष्मी सीमेण्ट की लोक सुनवाई हुई। विरोध के बाद भी वह सीमेण्ट प्लाण्ट खुला। 40 प्रतिशत लोगों को उसमें नौकरी देने की बात कही गई थी। पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नही लगा। स्थानीय लोगों को रोजगार नही मिला। हमारे क्षेत्र की जमीन लेकर इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार नही मिला। स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा तो उनको पलायन नही करना पड़ेगा। मैं डीएमएफ फण्ड का पहले सदस्य था। हमारे द्वारा

प्लान बनाकर ले जाया जाता था। उसमें सहमति केवल साइन करवा दिया जाता था। रायल्टी सीधे केन्द्र सरकार को जाती है। प्रस्तावित खदान खुलने का मैं स्वागत करता हूं। ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर किसानों के खेतों में न आये। इस बात का ध्यान रखा जाये। वाटर लेवल डाउन न हो इस बात का ध्यान रखा जाये, प्रत्येक 5 साल में वाटर लेवल की जांच की जानी चाहिए। प्रस्तावित खदान का समर्थन करता हूं।

12. **श्री रोशन पाल, ग्राम–नंदिनी–खुंदनी, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां किसानों को परेशानी है। खदान के चलते लोगों का खेत बह गया। लोगों का घर फटने वाला है लेकिन कोई सुनवाई नही है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग जाकर जांच कर लो। मैं खदान का विरोध करता हूं।

13. **श्री गोविन्दा यादव, ग्राम–नंदिनी–खुंदनी, जिला–दुर्ग।**

➢ प्रस्तावित खदान का समर्थन करता हूं।

14. **श्री रमेश पाल, ग्राम–नंदिनी–खुंदनी, जिला–दुर्ग।**

➢ प्रस्तावित खदान खुलना या न खुलना समय की बात है। मेरे हिसाब से पाडे बन्धु का प्रस्तावित खदान खुलना चाहिए। इन्हें अनुमति मिलनी चाहिए सहमति प्रदान की जाये।

15. **श्री लोकेश जैन, पूर्व उप सरपंच, ग्राम–नंदिनी–खुंदनी, जिला–दुर्ग।**

➢ गांव के आसपास 50 मीटर की परिधि में माइन्स है। ब्लास्टिंग मेनुअल पद्धति अर्थात् डोलडेट पद्धति से होना चाहिए। यह मेरा निवेदन है। ये जनसुनवाई का मैं समर्थन करता हूं। प्रस्तावित खदान वाले का हमारे गांव वालों को बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। मंदिर बनकर तैयार इनके सहयोग से हुआ है। ये हर सामाजिक कार्य में सहयोग प्रदान करे। मैं खदान का समर्थन करता हूं।

16. **श्री भागचंद ठाकुर, ग्राम–पथरिया, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं खदान का समर्थन करता हूं।

17. **श्री हीरालाल, ग्राम–सहगांव, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे सहगांव का रोड बनना चाहिए। कीचड़ के कारण बच्चों को स्कूल जाने में असुविधा होती है सड़क बनना चाहिए।

18. **श्री रोहित कुमार पटेल, ग्राम–नंदिनी–खुंदनी, जिला–दुर्ग।**

➢ हम लोग को माइनिंग वाले आ रहे करके क्यों भगा दिया जाता है। उस दिन की हमारी रोज नहीं दी जाती है।

19. **श्री छगन, ग्राम–मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं इनके यहां काम करता हूं। मेरा पेशा ड्रायवर है।

20. **श्री कुलेश्वर साहू, ग्राम–नंदिनी–खुंदनी, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि गांव में पहले खदान चले रहे हैं, लेकिन गांव वाले खदान संचालकों को नही पहचानते हैं। माइन्स वालों से अनुरोध है कि माइन्स वाले गांव के व्यक्तियों के हालचाल कम से कम साल में एक बार पूछना चाहिए।

गांव के विकास के लिये पूछना चाहिए। गांव वालों को बैठक करके हमारे सुख दुख बांटा जाये। प्रस्तावित खदान का समर्थन करता हूं।

21. **श्री दिनेश कुमार नेताम, ग्राम–सेलूद, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी लोगों को काम मिलना चाहिए। मैं प्रस्तावित खदान का समर्थन करता हूं।

22. **श्री नरसिंग, ग्राम–नंदिनी–खुंदनी, जिला–दुर्ग।**

➢ .मटासी खार में मेरा चार एकड़ जमीन हैं वहां रमानी कशर का पत्थर आता है। जिसको वापस उठाया नही जाता है।

23. **श्री देव ऋषि, ग्राम–नंदिनी–खुंदनी, जिला–दुर्ग।**

➢ .मेरा यह निवेदन है कि यहां पर एक पुलिस चौकी खोला जाये।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग। तथा क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग।/क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री मनीष राव कदम, पी एण्ड एम कंसल्टेन्ट, नोयडा द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

- ❖ प्रस्तावित खदान से सहगांव जाने हेतु पृथक से मार्ग बनाया गया है। जिससे गांवों वालों को किसी भी तरह की समस्या नही होगी।
- ❖ खदान में मफल ब्लास्टिंग किया जायेगा। ड्रीलिंग के बाद बारूद भराया जाता है जिससे वायब्रेशन कम होता है।
- ❖ इस खदान से जो भी डीएमएफ प्राप्त होगा वह जिला कार्यालय में दिया जायेगा।
- ❖ जागेश्वर साहू द्वारा उनके भूमि में खदान चालू करने की अनुमति दी गई है जिसकी जानकारी ईआईए अधिसूचना में सम्मिलित है।
- ❖ केवल स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जायेगा।
- ❖ खदान चालू होने के प्रत्येक 6 माह में पर्यावरणीय विवरण रिपोर्ट शासन को दिया जायेगा।
- ❖ गांव के स्थानीय लोगों को ही रोजगार में प्राथमिकता दिया जायेगा।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 182 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान

कुल 22 व्यक्तियों द्वारा (01 व्यक्ति द्वारा पुनः उद्‌बोधन) कुल 23 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 66 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग। द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 02.30 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–दुर्ग।